

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- ३१९७ / 14-1, बरेली, दिनांक, २४/जून/2024

सेवा मे,

मुख्य वन रांगड़क/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

बिषय:-

जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन०एच०-३० (पुराना एन०एच०-२४), किमी० २६७-२६८ के मध्य दैनेज २८७६५०, ग्राम गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियो रस्तार रिप्पेली प्रा० लि० एवं रेहिलखण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किये जा रहे आवारीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के राम्पक मार्ग में प्रभावित ०४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के तौर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५१ वृद्धी के कार्योपरान्त (Ex-Post Facto) अनुगति राखन्ही प्रस्ताव।
(Online Proposal No. FP/UP/Others/26336/2017)

संदर्भ:-

महोदय,

आपका पत्रांक - ११सी- ३०५० FP/UP/Others/26336/2017 दिनांक - १९.०३.२०२४

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार का पत्रांक ८B/UP/06/250/2021 /FCFP/UP/ Others/26336/2017 दिनांक १५ मार्च २०२४ के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली ने अपने पत्रांक ४७१२/१४-१ दिनांक २५-०६-२०२४ (संलग्नक-०१) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर पर आपका अनुपालन आख्या निम्न प्रकार विन्दुवार संलग्नक सहित संलग्नक कर संस्तुति सहित ऑनलाइन/ऑफलाइन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
०१	०२	०३
१.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वर्चनबद्धता संलग्न है।
२.	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency.	दंडात्मक एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 ०१ द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक १६.०४.२०२४ के माध्यम से किया जा चुका है।
३.	As per DSS analysis there are two Dhabas in the area proposed for Compensatory Afforestation. The state shall examine the matter in detail and ensure that the Compensatory Afforestation is carried over an area free from all encumbrances and submit the correct KML file of the area proposed for CA.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, प्रतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल सभी अतिक्रमण और प्रवर्तन से मुक्त है।
४.	As per DSS analysis, a small forest segment comprising an area of ०.०४ ha has not been included in the present diversion proposal. The state shall examine the matter and in case additional area is required then the details of actual requirement shall be submitted along with its recommendations.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, संपर्क मार्ग हेतु प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि एनएचआई द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार है उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
५.	The compensatory afforestation scheme, as approved, shall be implemented by the State Forest Department at the project cost and the work of compensatory afforestation shall be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land;	प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 ०१, द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक १६.०४.२०२४ के माध्यम से किया जा चुका है।
६.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वर्चनबद्धता संलग्न है।

	(NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter - 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India.	एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या— BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बङ्गलोर दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
8	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
9.	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
10.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
11.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
12.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
13.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
14.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
15.	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designed sites in such a manner so as to avoid its rolling down;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
16.	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
17.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
18.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
19.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
20.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
21.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
22.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
23.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
24.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
25.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।

	<p>mentation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC;</p>	
26.	The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वचनबद्धता संलग्न है।
27.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वचनबद्धता संलग्न है।
28.	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वचनबद्धता संलग्न है।
29.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2019.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वचनबद्धता संलग्न है।

प्रारूप-2

शर्त संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या / प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
05 व 06	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	13,94,394.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा धनराशि	13,94,394.00
07	एनपीबी की धनराशि	4,18,358.00
02	पैनल एनपीबी की धनराशि	10,55,474.00
	कुल एनपीबी की जमा धनराशि (शर्त सं- 7 + 2)	14,73,832.00
	कुल योग	28,68,226.00

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको सहित एवं वन (संरक्षण) 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाईन/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

dr

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक /

प्रभारी—वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्रांक 3907/14-1, दिनांकित
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली को उनके पत्रांक— 4712/14-1 दिनांक
25.06.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

dr

(विजय सिंह)

मुख्य वन संरक्षक /

प्रभारी—वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

dr

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।
पत्रांक ५७१२ /१४-१, बरेली, दिनांक, २५ जून, 2024

सेवा मे,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली गुरुता, बरेली।

द्विषय-

जनपद बरेली में बरेली-शाहजहांपुर मार्ग, एन०एच०-३० (पुराना एन०एच०-२४), किमी 267-268 के मध्य चैनेज 267 640, ग्राम गौसगंज रासाय, तहसील फरीदपुर पर नियोग स्टार रियेल्टी प्र० १० लि० एवं रोडिलखण्ड प्रोजेक्टस प्र० १० द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसेलेन्सी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित ०४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गंग वानिकी प्रपांग एवं बापक ५३ वृक्षों के कार्योपरान्त (Ex-Post Facto) अनुमति सम्बर्ती प्रस्ताव।
(Online Proposal No. FP/UP/Others/26336/2017)

सदाग्रं-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र स०. ४८/UP/०६/२५०/२०२१/FCFP/UP/Others/26336/2017 दिनांक १५ मार्च २०२४ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक - ११सी- ३०५० FP/UP/Others/26336/2017 दिनांक- १९.०३.२०२४

कृपया उपरोक्त सदर्भीत पत्रों का सदर्भी ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक १५ मार्च २०२४ के द्वारा विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष प्रस्तावक विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन आख्या पत्र दिनांक १३.०५.२०२४ से इस कार्यालय को दिनांक २१.०६.२०२४ को प्राप्त हुई है। (संलग्नक-१) प्रस्तावक विभाग से प्राप्त अनुपालन आख्या के अनुसार सहमति सहित अनुपालन आख्या निम्नवत् नियत प्रारूप में ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है-

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
०१	०२	०३
१	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वर्चनबद्धता संलग्न है। दंडात्मक एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 ०११ द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक १६.०४.२०२४ के माध्यम से किया जा चुका है।
२	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, प्रतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल सभी अतिकमण और प्रवर्तन से मुक्त है।
३	As per DSS analysis there are two Dhabas in the area proposed for Compensatory Afforestation. The state shall examine the matter in detail and ensure that the Compensatory Afforestation is carried over an area free from all encumbrances and submit the correct KML file of the area proposed for CA.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, संपर्क मार्ग हेतु प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि एनएचआई द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार है उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
४	As per DSS analysis, a small forest segment comprising an area of ०.०४ ha has not been included in the present diversion proposal. The state shall examine the matter and in case additional area is required then the details of actual requirement shall be submitted along with its recommendations.	प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 ०११, द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक १६.०४.२०२४ के माध्यम से किया जा चुका है।
५	The compensatory afforestation scheme, as approved, shall be implemented by the State Forest Department at the project cost and the work of compensatory afforestation shall be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वर्चनबद्धता संलग्न है।
६	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर
७	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal	

	from the User Agency as per the guidelines given in Chapter - 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarman Thirumalpad vs. Union of India.	संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ चेडोर दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
8	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
9	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
10	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
11	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
12	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
13	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
14	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
15	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
16	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
17	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
18	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
20	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
21	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
22	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
23	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
24	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।
25	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India	शर्त का अनुपालन किया जायेगा , वर्चनबद्धता संलग्न है।

	before the commencement of the project work and implementation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC;	
26	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
27	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
28	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
29	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2019.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।

प्रारूप-2

शर्त संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
05 व 06	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	13,94,394.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा धनराशि	13,94,394.00
	धनराशि में अंतर	-
	अंतर का कारण	-
07	एनपीबी की धनराशि	4,18,358.00
02	पैनल एनपीबी की धनराशि	10,55,474.00
	कुल एनपीबी की जमा धनराशि (शर्त सं0- 7 + 2)	14,73,832.00
	धनराशि का अंतर	-
	अंतर का कारण	-
	अन्य जमा धनराशि	-
	केंम्पा द्वारा सुनिश्चित	
	कुल योग	28,68,226.00

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको सहित एवं वन (संरक्षण) 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाईन/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

भवदीया
15/06/2024
(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक /14-1, दिनांकित
प्रतिलिपि डायरेक्टर, नियो स्टार रियेल्टी प्रा० लि०, री-31, कृष्ण जानकी पैलेस, रामपुर गार्डन, बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।






पत्रांक:- MEMO

दिनांक:- 13/May/2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बरेली



विषय:- जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० -२४) किमी २६७-२६८ के मध्य चेनेज २६७.६४० ग्राम गोसांज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं०- FP/UP/ Others /26336/ 2017)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8B/UP/06/250/2021/FCFP/UP/Others/26336/2017 दिनांक 15.03.2024 एवं आपका पत्रांक 3601/14-1 दिनांक 23.03.2024

महोदय,

कृपया उपर्युक्त पत्र दिनांक 23.03.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस समवंध में अवगत कराना है कि, भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.03.2024 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके क्रम में आपके कार्यालय के पत्रांक 3601/14-1 दिनांक 23.03.2024 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों के अनुपालन के हेतु लिखा गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों की विंदुवार अनुपालन आँखा व प्रमाण- पत्रों की ०५-०५ प्रतियाँ मूल में संस्तुत सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदानुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्ष० वना०
रो० ३० झ० रुप०-
क्षेत्रीय कृषिधिकारी
फरीदपुर रेज

Surveyor
बरेली
D.F.O

01/06/2024

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Managing Director

Site Office:
Opp. Future College, Faridpur, Bareilly NH-24
P: 97208 97333, 97208 97555
E: neostar.bareilly@gmail.com
W: www.omresidency.net

Member of:
CREDAI

Developers: Neostar Realty Private Limited & Rohilkhand Projects Private Limited

क्र०	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1.	Legal status of diverted forest land shall remain unchanged.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 1)
2.	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency.	दंडात्मक एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है (संलग्नक- 2)
3.	As per DSS analysis there are two dhabas in the area proposed for Compensatory Afforestation. The state shall examine the matter in detail and ensure that the Compensatory Afforestation is carried over an area free from all encumbrances and submit the correct KML file of the area proposed for CA.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा प्रतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल सभी अतिक्रमण और प्रवर्तन से मुक्त है (संलग्नक- 3)
4.	As per DSS analysis, a small forest segment comprising an area of 0.04 ha has not been included in the present diversion proposal. The state shall examine the matter and in case additional area is required then the details of actual requirement shall be submitted along with its recommendations.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, संपर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.4368 है० संरक्षित वन भूमि एनएचएआई द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार है उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है वन भूमि की मांग न्यूनतम है (संलग्नक- 4)
5.	The Compensatory afforestation scheme, as approved shall be implemented by the State Forest Department at the project cost and the work of compensatory afforestation shall be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land.	प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है (संलग्नक- 5)
6.	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA Scheme may include afforestation of indigenous species with	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 6)


लोकब्रह्म प्रताप सिंहीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेज
से० अ० फरीदपुर-२ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Harry Garg
Director

	appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	
7.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal for the User Agency as per the Guidelines given in Chapter-3 of the Consolidated Guideline and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India;	एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है (संलग्नक- 7)
8.	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 8)
9.	Compensatory levies to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 9)
10.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The much generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the much/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 10)
11.	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 11)
12.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 12)


 लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
 उ० क्षेत्र वना० फरीदपुर रेज
 स० ३० अ० फरीदपुर


 Neostar Realty Private Limited
 Rohilkhand Projects Private Limited
 Director

13.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 13)
14.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 14)
15.	The user agency shall carry out muck disposal at predesignated sites in such a manner so as to avoid its rolling down;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 15)
16.	The user agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act: 1986;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 16)
17.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternated duels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 17)
18.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 18)
19.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 19)
20.	The user agency shall ensure that because of the project, no damage is caused to the wildlife	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 20)

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय बनाधिकारी
उ० क्षे० वना० फरीदपुर रेज
से० अ० बरेली
फरीदपुर-८

	available in the area;	
21.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 21)
22.	The cost of felling trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 22)
23.	The Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 23)
24.	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 24)
25.	The User Agency shall implement the R & R plan, if applicable as per the R & R Policy of the State Government in consonance with National R&R Policy. Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/ Regional Office of MOEF&CC;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 25)
26.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 26)
27.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 27)

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
 उ० क्षे० वना० फरीदपुर रेज
 से० ३० फरीदपुर-३
 बरेली

Neostar Realty Private Limited
 Rohilkhand Projects Private Limited
 Arvind Goyal Director

28.	<p>The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force as applicable to the project ; and</p>	<p>शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 28)</p>
29.	<p>Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Eevam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by the Ministry's letter dated 29.12.2019.</p>	<p>शर्त का अनुपालन किया जायेगा वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक- 29)</p>

पोकेक्ष प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
 उ० क्षेत्र वनां० फरीदपुर रेज
 स० अ० अर्द्धांडुर - I बरेली

भवदीय
 Neostar Realty Private Limited
 Rohilkhand Projects Private Limited
Ajeet Goyal
 Director
 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०
 एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीका भट्टारी)
 प्रधानीय वनाधिकारी
 वन एवं वन जीव प्रभाग, बरेली

(प्रधानीय वनाधिकारी)
 (प्रधानीय वनाधिकारी)

Funds to be deposited in Govt Exchequer

Help		Click on  Generate to generate Challan.	
 Paid	: This icon shows that the payment has been deposited.	 To Be Paid	: This icon shows that the payment of this yet to be made.
 Challan Generated	: This icon shows that the challan has been generated.		

© Proposals received on or after 15th July 2014. All Proposals received upto 14th July 2014

Sno.	Proposal No.	Application No (New)	Application No (Old)	Proposal Name	Category Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE VERIFIED DATE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Fill Payment Status
1	FP/UP/Others/26336/2017/OTHERS/26336/2017/50199263363570			Ex-Post Facto Proposal 0.4368 Hectares Forest Land Proposed to be diverted for service land road to Om Residency developed by Neo Star Reality Pvt.Ltd. and Ruhikhand Projects Ltd. on NH-30(Old NH-24) Bareilly Shahjahanpur Road between KM.267-268, Ch. 267.640 (LHS) in Bareilly District.	Others 0.4368	NEO STAR REALTY PVT LTD	15-3-2024	27-3-2024	 Paid	 Paid	 Paid

 SWACHH BHARAT (https://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (https://INDIA.GOV.IN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)	 MeITY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)	 (Digital India (HTTPS://DATA.GOV.IN/) Powered by Empower) <small>Open Government Data Platform India</small>	 india.gov.in <small>Government of India Portal</small>	 NIC <small>National Institute of Communications</small>
 © Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) Copyright Policy (Copyright.aspx) Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) Disclaimer (Disclaimer.aspx) Contact Us (Contact.aspx)	 For any Technical support, Please Contact FCCID, NIC, New Delhi, monitoring- fc(at)nic(dot)in	 FCCID		

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions ([TermsandConditions.aspx](#)) | Privacy Policy ([PrivacyPolicy.aspx](#)) | Copyright Policy ([Copyright.aspx](#)) | Hyperlinking Policy ([HyperlinkingPolicy.aspx](#)) | Accessibility Statement ([AccessibilityStatement.aspx](#)) | Disclaimer ([Disclaimer.aspx](#)) | Contact Us ([Contact.aspx](#))

Jayendra Patel
Neostar Projects Private Limited
Rohilkhand Projects Director

Shivam Singh
Om Residency
Ch. 267.640 Bareilly
रो० २६७ शाहजहांपुर - २

Shivam Singh
Om Residency
Ch. 267.640 Bareilly
रो० २६७ शाहजहांपुर - २

Lokesh Bhadari

Swasthya Koshal
Health Clearance.nic.in/useraccount/Challan_grid.aspx

Shivam Singh
Om Residency
Ch. 267.640 Bareilly
रो० २६७ शाहजहांपुर - २

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी २६७-२६८ के मध्य चेनेज २६७.६४० ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ०१

शर्त संख्या१-, अनुपालन में नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

रोहिलखंड प्रताप सिंहक्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० वना० फरीदपुर रेज
रो० अ० फरीदपुर-१ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Henry Gau
Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० -२४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ०२

शर्त संख्या२-, अनुपालन में दंडात्मक एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक १६.०४.२०२४ के माध्यम से किया जा चुका है

प्रिय प्रताप सिंह
उ० क्षे० बना०
रो० अ० फरीदपुर-२

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Henry Goyal
Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योंपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ०३

शर्त संख्या३-, अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल सभी अतिक्रमण और प्रवर्तन से मुक्त है

प्रा० लि० रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली
क्षेत्रीय वनाधिकारी फरीदपुर रेंज
उ० क्षेत्र वनाठा० बरेली
रो० अ० फरीदपुर - २

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Helly Hall
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० -२४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ०४

शर्त संख्या ४-, अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि संपर्क मार्ग हेतु प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि एनएचएआई द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार है उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है वन भूमि की मांग न्यूनतम है

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी Neostar Realty Private Limited
उ० क्षेत्र वना० Rohilkhand Projects Private Limited
स० अ० फरीदपुर-१ Director
फरीदपुर रेज अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
बरेली नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० -२४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडेंसी के संपर्क मार्ग में प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ०५

शर्त संख्या ५-, अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक १६.०४.२०२४ के माध्यम से किया जा चुका है।

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षेत्र वना० फरीदपुर रेज
से० अ० औरीदपुर-गु..... बरेली

Neostar Real
Director
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ०६

शर्त संख्या ६-, उपयोगकर्ता एजेंसी वर्तमान मजदूरी दर पर प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाने और बनाए रखने की लागत राज्य वन विभाग को हस्तांतरित करेगी। सीए योजना में बाद के वर्षों के लिए निर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत वृद्धि के लिए उचित प्रावधान के साथ स्वदेशी प्रजातियों का वनीकरण शामिल हो सकता है;

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना०, फरीदपुर रेज
स० अ० ओरियाँपुर-२

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/Sector
नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ०७

शर्त संख्या ७-, प्रमाणित किया जाता है कि एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बडोदा दिनांक १६.०४.२०२४ के माध्यम से किया जा चुका है

लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्ष० वन्ना०
स० अ० फ० दुरु०

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Aceray Patel
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दाक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ०८

शर्त संख्या ८-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी एनपीवी की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध है, यदि ऐसा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार निर्धारित किया गया है;

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Aceray Garg
Director

एनपीवी
ट्रोकेन्ड प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेज
रो० अ० फरीदपुर-२

M
वरेली

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)

प्रभगीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएलटी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ०९

शर्त संख्या ९-, प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि के डायवर्जन के एवज में वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति शुल्क, का ई-भुगतान (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से राज्य के संबंधित खाते में स्थानांतरित/जमा किया जाएगा।

लालकंड प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वनां० फरीदपुर रेज
स० अ० फरीदपुर-२ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएलटी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०


(दीक्षा भण्डारी)
प्रधानीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी २६७-२६८ के मध्य चेनेज २६७.६४० ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेजिडेंसी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - १०

शर्त संख्या १०-, प्रमाणित किया जाता है कि ओवरबर्डन को सङ्क की चौड़ाई से बाहर नहीं डाला जाएगा। मिट्टी काटने से उत्पन्न अधिकांश भाग को निर्दिष्ट डंपिंग स्थलों पर निपटाया जाएगा और किसी भी स्थिति में अधिक मात्रा/मलबे को पहाड़ी ढलानों से नीचे लुढ़कने नहीं दिया जाएगा।

Neostar Realty Private Limited

Rohilkhand Projects Private Limited


Neostar
Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता


प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षेत्र वनां०
रो० अ० रोहिलखंडपुर-२


फरीदपुर रेंज
बरेली

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएलटी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - ११

शर्त संख्या ११-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी ढलान को स्थिर बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार रिटेनिंग दीवारें, ब्रेस्ट दीवारें और जल निकासी प्रदान करेगी।

कृष्ण प्रताप सिंह क्षेत्रीय बनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेज
स० अ० रोहिलखंड बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Harry Goyal
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नियों स्टार रिएलटी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रधानीय बनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योंपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - १२

शर्त संख्या १२-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी राज्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना लागत पर व्यापक मृदा संरक्षण उपाय करेगी।

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Udit *Ali* *Henry Hall*
लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
रु० क्षे० वना० फरीदपुर रेज नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०
से० अ० फरीदपुर-१ बरेली एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - १३

शर्त संख्या १३-, प्रमाणित किया जाता है कि जहां भी संभव और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, उपयोगकर्ता एजेंसी परियोजना लागत पर राज्य वन विभाग के परामर्श से, इस अनुमोदन के तहत डायवर्ट किए गए क्षेत्र के भीतर सङ्कों के किनारे वनीकरण उपाय करेगी;

लोकेन्द्र प्रताप सिंह त्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेज
से० अ० फरीदपुर-२ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० -२४) किमी २६७-२६८ के मध्य चेनेज २६७.६४० ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडेंसी के संपर्क मार्ग में प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - १४

शर्त संख्या १४-, प्रमाणित किया जाता है कि जंगली जानवरों की आवाजाही हेतु प्राकृतिक जलधाराओं/नदियों/नहरों पर पुलियों/पुलों, यदि कोई हो, की डिजाइनिंग इस तरह की जाएगी जिससे पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए, जल-जमाव न हो और रुकावट भी न हो।

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Director

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेज
स० अ० फरीदपुर-२ बरेली नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी २६७-२६८ के मध्य चेनेज २६७.६४० ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएलटी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - १५

शर्त संख्या १५-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी पूर्वनिर्धारित स्थलों पर गंदगी का निपटान इस प्रकार करेगी ताकि उसे लुढ़कने से बचाया जा सके;

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

George H. Patel
Director

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेज
स० अ० फरीदपुर -२ बरेली नियों स्टार रिएलटी प्रा० लि०
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० -२४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएलटी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडेंसी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - १६

शर्त संख्या १६-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी, यदि आवश्यक हो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम: १९८६ के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, २००६ के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करेगी;

लोकेन्द्र प्रताप सिंहक्षेत्रीय बनाधिकारी
उ० क्ष० बन्ना० फरीदपुर रेज
स० अ० फरीदपुर - १ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

Henry Goyal
Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नियों स्टार रिएलटी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)

प्रभागीय बनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी २६७-२६८ के मध्य चेनेज २६७.६४० ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेजिडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - १७

शर्त संख्या १७-, प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा और उपयोगकर्ता एजेंसी साइट पर काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से जलाऊ लकड़ी प्रदान करेगी ताकि आसपास के वन क्षेत्रों पर किसी भी क्षति और दबाव से बचा जा सके;

लोकेन्द्र प्रताप स्थितीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेंज
से० ३० फरीदपुर-२ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Neetyl Gopal
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Director
नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी २६७-२६८ के मध्य चेनेज २६७.६४० ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योंपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - १८

शर्त संख्या १८-, प्रमाणित किया जाता है कि परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर जमीन पर चार फीट ऊंचे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के खंभों को खड़ा करके सीमांकित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक पर उसका क्रमांक, आगे और पीछे का असर और एक खंभे से दूसरे खंभे की दूरी अंकित होगी;

लोकेन्द्र प्रताप सिंह
डॉ क्षेत्र चन्द्र
से० अ०
WIL

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडेंसी के संपर्क मार्ग में प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - १९

शर्त संख्या १९-, प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा;

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० क्षा० फरीदपुर रेज
स० अ० बरेली
[Signature]

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

[Signature] Director
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

[Signature]
(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग में प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - २०

शर्त संख्या २०-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के कारण क्षेत्र में उपलब्ध वन्य जीवन को कोई नुकसान न हो;

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० वना० फरीदपुर रेंज
सौ० अ० अरीदपुर - १२ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Aditya Goyal
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रधानीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - २१

शर्त संख्या २१-, प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी काटे जाने के लिए पहचाने गए पेड़ों की अधिकतम संख्या के स्थानांतरण की संभावना तलाशेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पेड़ की कटाई तभी की जाएगी जब यह अपरिहार्य हो और वह भी राज्य वन विभाग की सख्त निगरानी में किया जाएगा

लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्षेत्र वना०
स० अ० फरीदपुर-२

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Henry Goyal
Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडेंसी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योंपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - २२

शर्त संख्या-२२ , प्रमाणित किया जाता है कि पेड़ों की कटाई की लागत उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य वन विभाग के पास जमा की जाएगी।

लोकेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्षे० बना० फरीदपुर रेज
रो० अ० फरीदपुर-२ बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Nancy Goyal
Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडेंसी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योंपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - २३


शर्त संख्या-२३ , प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव का लेआउट प्लान केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं बदला जाएगा;

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


Henry Hall
Director


लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्षेत्र वना०
स० अ० फरीदपुर-२


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेज
बरेली


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०


(दीप्का भडारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ०-३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - २४

शर्त संख्या-२४ , प्रमाणित किया जाता है कि डायर्ट की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा;

१४१
गोकोन्द प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वना० फरीदपुर रेज
से० अ० फरीदपुर-१
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Hemant Ghosh
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली – शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० – २४) किमी २६७-२६८ के मध्य चेनेज २६७.६४० ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 25

शर्त संख्या-25 , प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी राष्ट्रीय आर एंड आर नीति के अनुरूप राज्य सरकार की आर एंड आर नीति के अनुसार लागू होने पर आर एंड आर योजना को लागू करेगी। परियोजना कार्य एवं कार्यान्वयन प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार। उक्त आर एंड आर योजना की निगरानी राज्य सरकार/एमओईएफ एंड सीसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी:

Uttar
लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ०. क्षे० बना०
से० अ० *मणिधुर-८*

**क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज
बरेली**

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Meenakshi Director
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नियों स्टार रिएल्टी प्रा ० लि०
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा ० लि०

(दाक्षा घण्डारा)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० -२४) किमी २६७-२६८ के मध्य चेनेज २६७.६४० ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - २६

शर्त संख्या-२६ , प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी उपर्युक्त शर्तों के संबंध में वार्षिक स्व-अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और इस मंत्रालय को हर साल मार्च के अंत तक नियमित रूप से प्रस्तुत करेगी;

... केन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी
उ० क्ष० वनां
से० अ० फरीदपुर-ए
.....

फरीदपुर रेंज
बरेली

Neustar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Henry Goyal
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Director

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - २७

शर्त संख्या-२७ , प्रमाणित किया जाता है कि कोई अन्य शर्त जो मंत्रालय का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संरक्षण और विकास के हित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्धारित कर सकता है; मान्य होगी

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


Director

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता


पी. के. प्रेस्ट्री
प्रताप सिंह
उ० क्ष० वन्यजीव
स० अ० रोहिलखंड


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेज
बरेली

नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०
एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०


(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली

जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० - २४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेज़िडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - २८

शर्त संख्या-२८ , प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी ने सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय के आदेशों और एनजीटी के आदेशों सहित सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है। इस परियोजना से संबंधित वन अधिकार अधिनियम, २००६ का अनुपालन, भी किया गया है

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०
सं० थ० वना०
से० अ० फरीदपुर-२८

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेज
बरेली

Newstar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited
Neeraj Hall
Director
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली


जनपद बरेली में बरेली - शाहजहांपुर मार्ग एन ० एच ० -३० (पुराना एन ० एच ० -२४) किमी 267-268 के मध्य चेनेज 267.640 ग्राम गोसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि० एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा विकसित किए जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेजिडन्सी के संपर्क मार्ग मे प्रभावित ०.४३६८ है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ५३ वृक्षों के पातन की कार्योपरांत अनुमति के सम्बन्ध में।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - २९

शर्त संख्या-२९ , प्रमाणित किया जाता है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन माना जाएगा और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, १९८० के तहत जारी समेकित दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों मंत्रालय का पत्र दिनांक २९.१२.२०१९ के पैरा १.१६ में निर्धारित अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

लोकेन्द्र प्रताप सिंह
उ० क्षेत्र वनां
रो० अ० फौरन्दपुर-२

क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेज
बरेली

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नियों स्टार रिएल्टी प्रा० लि०

एण्ड रोहिलखंड प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०

(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली